राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1360/2011

कमलेश कुमार चतुर्वेदी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, जिला बीकानेर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जिला बीकानेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, टोंक।
5. ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा, पंचायत समिति, टोडारायसिंह, जिला टोंक।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.11.2011
आदेश की दिनांक : 07.08.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री देवेन्द्र सोलंकी, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खांण्डपा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को दिनांक 06.11.1990 से वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ एवं मय ब्याज सहित भुगतान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह अभिकथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर हुई थी। परंतु अपीलार्थी बी.एड. की योग्यता अर्जित नहीं कर सका। जबकि वर्ष 2005 में बी.एड. की योग्यता कोटा खुला विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण करना अनिवार्य थी। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 27.03.2003 के द्वारा वेतन श्रृंखला 5000–8000 10 वर्ष की सेवायें पूर्ण होने पर अपीलार्थी का वेतन निर्धारित किया गया। आदेश दिनांक 25.07.2008 के द्वारा

अपीलार्थी की वरिष्ठता को जोडने जाने का निर्णय लिया गया और आदेश दिनांक 25.09.2009 के द्वारा अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पातेय वेतन पर पदोन्नत किया गया तथा आदेश दिनांक 10.06.2010 के द्वारा 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया। परंतु वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी गई। इस प्रकार अपीलार्थी को बी.एड. योग्यता नहीं होने के कारण वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने विस्तृत अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 18.04.2011 को प्रस्तुत किया, जिसमें कथन किया है कि उससे कनिष्ठ कार्मिकों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया है, परंतु अपीलार्थी को नहीं दिया गया है, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 2549/2002 गोविन्द सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20.05.2003 की ओर अधिकरण का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें प्रथम नियुक्ति दिनांक से समस्त सेवा लाभ दिये जाने का आदेश अपास्त किया गया है एवं अधिकरण द्वारा अपील संख्या 3000/2010 इन्द्रपाल सिंह बनाम निदेशक व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30.05.2023 एवं अपील संख्या 404/2019 श्रीमती दुर्गा डिंडोर बनाम निदेशक व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 02.06.2023 की ओर अधिकरण का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा के समस्त लाभ प्रदान किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। परंतु अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा के समस्त लाभ प्रदान किये जाने से वंचित किया गया है, जो उक्त विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को दिनांक 06.11.1990 से वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ एवं मय ब्याज सहित भुगतान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि कार्मिक विभाग के अधिसूचना दिनांक 27.05.2011 के क्रम में अप्रशिक्षित अध्यापक पद पर नियुक्त कार्मिकों को उस तिथी से नियमित किया जायेगा जिससे वे बीएसटीसी या यथास्थिति बीएड. की अपेक्षित अर्हता अर्जित कर निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर के आदेश दिनांक 21.05.2010 के अनुसार प्रशिक्षित अध्यापकों को चयनित वेतनमान का लाभ प्रशिक्षण योग्यता प्राप्त करने की दिनांक से ही दिया जायेगा। उक्तानुसार अपीलार्थी दिनांक

14.02.2005 से ही सेवा के लाभ, परिलाभ, चयनित वेतनमान इत्यादि प्राप्त करने का अधिकारी होने से अपील मय कोस्ट के निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि जगदीश नारायण चतुर्वेदी में पारित विनिश्चय के अनुसार अपीलार्थी स्थायीकरण तिथी/नियमित नियुक्ति तिथी से ही चयनित वेतनमान सहित सेवा संबंधित समस्त लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन कार्मिक है और कार्यालय आदेश दिनांक 07.12.1996 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रशासन एवं वित्त करारोपण स्थायी समिति पंचायत समिति, टोडारायसिंह की बैठक दिनांक 27.11.1996 के पारित प्रस्ताव संख्या 2 के निर्णय की अनुपालना में अध्यापक/अध्यापिकाओं का परिवीक्षा काल पूर्ण होने से राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद सेवा नियम, 1959 के नियम 27 के अनुसार प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवायें स्थायी की गईं, जिसमें अप्रशिक्षित अध्यापकों को वेतन वृद्धियां देय नहीं होने का उल्लेख किया गया है। चूंकि अपीलार्थी अप्रशिक्षित अध्यापक है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 14.02.2005 को बी.एड. की योग्यता अर्जित की गई और इस प्रकार राज्य सरकार के कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.05.2011 के अनुसार अपीलार्थी बी.एड. की योग्यता अर्जित करने की दिनांक से ही सेवा के समस्त लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। जहां तक अपीलार्थी को नियुक्ति दिनांक 06.11.1990 से वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य लाभ नहीं दिये जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 06.10.1990 जो कार्यालय जिला परिषद, टोंक के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें अपीलार्थी को मृत्त राज्य कर्मचारी के अंतर्गत तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर नियुक्ति दिये जाने के संबंध में विकास अधिकारी पंचायत समिति, टोडारायसिंह को लिखा गया है और अपीलार्थी द्वारा दिनांक 06.11.1990 को प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, धारेडा, टोंक को उपस्थिति दी गई। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी की नियुक्ति राज्य मृत्त कर्मचारी के अंतर्गत की गई, जो एक नियमित नियुक्ति है। अपीलार्थी द्वारा बी.एड. की योग्यता दिनांक 14.02.2005 को अर्जित की गई और नियुक्ति आदेश में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त योग्यता अर्जित किये जाने के संबंध में कोई समय सीमा भी निर्धारित नहीं की गई। माननीय उच्च न्यायालय ने डब्ल्यू.एल.सी. 2003 यू.सी. पेज

677 गोविन्द सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एवं रामचन्द्र बनाम अधिशाषी अभियंता व अन्य के प्रकरण (डब्ल्यू. एल. सी. (राज.) 1999 (1) पेज 258) एवं डी.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 3661/1996 श्रीमती पुष्पलता टाडा व 41 अन्य बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 26.04.2001 के निर्णय में आश्रित नियमों के अंतर्गत की गई नियुक्ति को नियमित नियुक्ति ही माना है। इसलिए हमारे विनम्र मत में उसकी सेवाओं की गणना कार्यग्रहण करने की तिथि से करते हुए अपीलार्थी चयनित वेतनमान का लाभ एवं वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी की सेवाओं की गणना प्रथम नियुक्ति की दिनांक से करते हुए 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का नियमानुसार लाभ प्रदान किया जावें तथा प्रथम नियुक्ति दिनांक से बी.एड. की योग्यता उत्तीर्ण करने की दिनांक तक काल्पनिक वेतन वृद्धि स्वीकृत की जावे। उक्त आदेश की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य